

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं० 2, सैक्टर 17
पंचकुला

क्रमांक:— रा०नि०आ०/1एम०ई०/2013/5371-5373

दिनांक:—26.11.2013

सेवा में

उपायुक्त,
महेन्द्रगढ स्थित नारनौल, जींद एवं पलवल।

विषय:— नगरपालिका /नगरपरिषद उप चुनाव मास नवम्बर, 2013 . मतदान
केन्द्रों की स्थापना।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर आकर्षित करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगरपरिषद नारनौल, के वार्ड नं० 22, नगरपालिका सफीदों, जिला जीन्द के वार्ड नं० 2 एवं नगरपालिका, हथीन, जिला पलवल के वार्ड नं० 10 के, उप चुनाव दिनांक 18.12.2013 को होने निश्चित हुये है।

2. मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 34(1) में निहित व्यवस्था के अनुसार रिटरनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी है। रिटरनिंग अधिकारी के प्रयोगार्थ हिदायतों में मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे विस्तृत विधि दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित रिटरनिंग अधिकारी को चुनावों के लिए आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना तुरन्त करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाए तथा स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों का आपके माध्यम से आयोग से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

3. मुझे यह भी अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्र जहाँ तक सम्भव हो, केवल सरकारी भवनों में ही स्थापित किये जायें (कोई भी मतदान केन्द्र किसी भी अस्तपताल व जच्चा बच्चा केन्द्र (डिलीवरी सैन्टर) में या उसके आस पास स्थापित न किया जायें), तथापि यदि ऐसा किया जाना सम्भव न हो तो उस स्थिति में प्राईवेट भवन/धर्मशाला के मालिक से इस बारे लिखित रूप से सहमति प्राप्त कर ली जाए और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार अथवा उसके रिश्तेदार का उस भवन या संस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा इस सम्बन्ध में आयोग को भी सूचित करें।

भवदीय,

(परमाल सिंह)
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा